विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 06.12.2022 की कार्यवाही

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विद्यापरिषद की ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठक दिनांक 06/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में आहूत की गई है। जिसकी उपस्थिति निम्नवत् हैः–

उपस्थिति–

1. प्रो0 मुकेश पाण्डेय, कुलपति / अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0पी0 सिंह, डीन एकेडमिक, भूगर्भ विज्ञान विभाग, बु0वि0झाँसी।
3. प्रो0 आर0 के0 सैनी , संकायाध्यक्ष विज्ञान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
4. प्रो0 एम0एम0 सिंह संकायाध्यक्ष अभियांत्रिकी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी –ऑनलाइन
5. डॉ0 एस0एल0 पाल, संकायाध्यक्ष कृषि ,बी0एन0वी0 कॉलेज,राठ।
6. प्रो0 मुन्ना तिवारी, संकायाध्यक्ष कला, बु0वि0 झाँसी।
7. प्रो0 अर्चना वर्मा, संकायाध्यक्ष वाणिज्य, व्यापार प्रशासन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
8. प्रो0 एल0सी0 साहू, संकायाध्यक्ष विधि, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी।
9. प्रो0 पूनम पुरी, विभागाध्यक्ष व्यापार प्रशासन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
10. प्रो0 ज्योति वर्मा , संयोजक ,संस्कृत विभाग, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी।
11. प्रो0 पुनीत बिसारिया, संयोजक हिन्दी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी।
12. श्री अमित कुमार सिंह, संयोजक समाजशास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महावि0 कर्वी, चित्रकूट– ऑनलाइन
13. डॉ0 सुधा गुप्ता, संयोजक राजनीति विज्ञान, कालपी कॉलेज कालपी।
14. डा0 रितु सिंह, संयोजक ,पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग,बु0वि0, झाँसी।
15. डॉ0 वरूण कुमार – संयोजक ,एग्रोनोमी, बी0एन0बी0कॉलेज, राठ।
16. डॉ0 सुरेन्द्र सिंह– संयोजक जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग, बी0एन0बी0कॉलेज, राठ– ऑनलाइन
17. डॉ0 रामसुभग सिंह– संयोजक,एन्टोमोलोजी, बी0एन0बी0कॉलेज, राठ।
18. डॉ0 एस0एल0पाल–संयोजक– उद्यान विज्ञान, बी0एन0वी0 कॉलेज, राठ।
19. डॉ0 कमलेश राम– संयोजक प्लान्ट पैथोलोजी, बी0एन0वी0 कॉलेज, राठ।
20. डॉ0 गोविन्द राजपूत – संयोजक ,कृषि रसायन, बी0एन0वी0 कॉलेज, राठ।
21. डॉ0 जितेन्द्र सिंह, संयोजक कृषि अर्थशास्त्र, बी0एन0वी0 कॉलेज, राठ,।
22. प्रो0 सुरभि यादव – संयोजक रसायन विज्ञान, बिपिन बिहारी महाविद्यालय, झाँसी– ऑनलाइन
23. प्रो0 एस0के0राय, संयोजक विधि, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी।
24. प्रो0 अश्वनी कुमार, संयोजक बी0एड0/एम0एड0, बी0के0डी0, झांसी।
25. प्रो0 अवनीश कुमार–आचार्य–गणितीय वि0 एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग, बु0वि0झाँसी।
26. प्रो0 अपर्णा राज, आचार्य पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
27. प्रो0 सुनील कविया आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
28. प्रो0 देवेश निगम, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
29. प्रो0 सी0वी0 सिंह, बैकिंग अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग बु0वि0 झाँसी।

06.12.2022

Scanned with OKEN Scanner

30. प्रो0 शिवकुमार, फूडटैक्नोलॉजी विभाग, बु0वि0 झाँसी।
31. प्रो0 वी0के0 सिंह, आचार्य, भूगर्भ विज्ञान, बु0वि0 झाँसी।
32. डॉ संजय निबोरिया – असि. प्रोफेसर–पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
33. डॉ0 शिप्रा सक्सेना , असि. प्रोफेसर –व्यापार प्रशासन विभाग, बु0वि0 झाँसी।
34. डा0 विनीत कुमार – सह आचार्य – पर्यावरण विज्ञान विभाग, बु0वि0 झाँसी।
35. प्रो0 डी0 के0 भटट्– आचार्य – फूडटेक विभाग बु0वि0 झाँसी।
36. श्री विनय कुमार सिंह, कुलसचिव/सचिव
37. श्री राजबहादुर, परीक्षा नियंत्रक

कार्यवाही

1-(I) पी–एच0डी0 अध्यादेश 2022–2023 में आंशिक संशोधन किये जाने पर विचार–

निर्णयः– NEP-2020 के अनुसार पी–एच0डी0 सम्बन्धी निर्मित नवीन अध्यादेश जो कार्यपरिषद द्वारा निर्मित किया गया है तथा अध्यादेश विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27.07.2022 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.07.2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है, को विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0वि0/शोध/2022/3434 दिनांक 06.09.2022 द्वारा माननीय कुलाधिपति जी से अनुमोदन /स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। निर्मित अध्यादेश की धारा 5.2 (All admitted candidates shall undergo a Ph.D. Course Work for a minimum period of Twelve months consisting of two semesters as prescribed by the University)के अनुसार पी–एच0डी0 कोर्सवर्क की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गयी थी। यू0जी0सी0 की नवीन अधिसूचना दिनांक 07 नवम्बर, 2022 के 9.1(The Credit requirement for the Ph.D. coursework is a minimum of 12 credits, including a "Research and Publication Ethics" course as notified by UGC vide D.O. No. F.1-1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course) के अनुसार कोर्सवर्क हेतु 12 क्रेडिट निर्धारित होने के कारण निर्मित अध्यादेश की धारा 5.2 में इसकी अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 6 माह निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

उक्त यू0जी0सी0 विनियम 2022 में विदेशी छात्रों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 विनियम 2022 के बिन्दु स0 7 में निम्न प्रावधान दिया गया है–

Admission of International students in Ph.D. programme.-

(1) Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars apart from their Institution allotment.

Scanned with OKEN Scanner

यू0जी0सी0 विनियम 2022 की अधिसूचना के उक्त बिन्दु 07 पर सर्वसम्मति से विचार विमर्श किया गया। विदेशी छात्रों को पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय में गठित अर्न्तराष्ट्रीय सेल के माध्यम से दिया जायेगा एवं यू0जी0सी0 के उक्त बिन्दु को विश्वविद्यालय के नवीन शोध अध्यादेश की धारा 5.2 में समाहित करने का निर्णय लिया गया।

1-(II) राजभवन के पत्रांक 5605/16–जी0एस0/2022–VII दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के अनुपालन में डी0लिट0/डी0एस0सी0/एल0एल0डी0 के अध्यादेश में आंशिक संशोधन किये जाने पर विचार।

निर्णयः– डी0लिट0/डी0एस0सी0/एल0एल0डी0 सम्बन्धी निर्मित नवीन अध्यादेश जो कार्यपरिषद द्वारा निर्मित किया गया है तथा अध्यादेश विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27.07.2022 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.07.2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है, को विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0वि0/शोध/2022/3410 दिनांक 24.08.2022 द्वारा माननीय कुलाधिपति जी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 से प्राप्त निर्देश के क्रम में सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया –

प्रस्तुत अध्यादेश का प्रारूप पूर्व से ही विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27.07.2022 में अनुमोदित है। राजभवन लखनऊ के पत्र दिनांक 18/11/2022 के अनुपालन में संदर्भित अध्यादेश को विद्यापरिषद की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुनः अनुमोदन किया गया तथा प्रस्तुत अध्यादेश के प्रारूप में अभ्यर्थियों से पंजीकरण एवं परीक्षा/मूल्यांकन हेतु शुल्क लिये जाने तथा शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन एवं मौखिकी परीक्षा हेतु परीक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 (3) (c) की व्यवस्थानुसार राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने हेतु परिषद ने निर्देशित किया।

चूंकि डी0लिट0/ डी0एस0सी0/एल0एल0डी0 की मानद उपाधि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रावधान उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 10(2) तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 13.01 एवं 13.02 में पूर्व से ही सम्मिलित है। अतः अधिनियम एवं परिनियम में पूर्व से ही प्रावधान होने के कारण परिषद द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश के बिन्दु स0 6 Special Clause को विलोपित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

(III) शासन के पत्र संख्या –3761/सत्तर–3–2022–08(14)/2018 दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 के आदेशों के अनुपालन में यातायात एवं सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किये जाने हेतु विचार ।

निर्णय :–शासन के पत्र संख्या –3761/सत्तर–3–2022–08(14)/2018 दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 के आदेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में आगामी सत्र से यातायात एवं सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु समस्त विषय की पाठ्यक्रम समितियों की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

1-(IV) संचालित Value Added Course के अनुमोदन हेतु विद्यापरिषद को संसूचित करने पर विचार।

निर्णय :– कुल 220 संचालित Value Added Course का सर्वसम्मति से परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

1-(V) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08-02-2022, दिनांक 17-08-2022 एवं दिनांक 25-11-2022 के अनुमोदन /संसूचन पर विचार।

निर्णय :– परीक्षा समिति की कार्यवाही दिनांक 08-02-2022, दिनांक 17-08-2022 एवं दिनांक 25-11-2022 का सर्वसम्मति से परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

1-(VI) यू0जी0सी0 के पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2022 एवं संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार उद्योगों एवं कौशल विकास के विभिन्न विशेषज्ञों के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर Professor of Practice की सेवायें लिये जाने पर विचार।

निर्णयः– यू0जी0सी0 के पत्रांक D.O. No.F. 9-1/2010(PS/Misc)PT-1 दिनांक 14 नवम्बर 2022 एवं संलग्न दिशा निर्देश में Professor of Practice का प्रावधान किया गया है, उक्त पद पर ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना है जो शैक्षणिक पद पर कार्यरत न होकर उद्योगों एवं कौशल विकास की अन्य ऐसी गतिविधियों से जुडे हुए है, जिनसे छात्र/छात्राओं को उनके अनुभवों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता की जानकारी प्राप्त हो सके। विद्यापरिषद द्वारा यू0जी0सी0 के पत्र दिनांक 14/11/2022 एवं सम्बन्धित दिशानिर्देशों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में यू0सी0जी0 निर्देशों के अनुरूप प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस की सेवायें लिए जाने की संस्तुति की।

(विनय कुमार सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 मुकेश पाण्डेय)
कुलपति

Scanned with OKEN Scanner